न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ जिला चित्तौडगढ राज०

प्रार्थना पत्र संख्या :: 89/2019

1. भैरूसिंह पिता छगनसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगॅू
2. शिवराजसिंह पिता रामसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगॅू

प्रार्थीगण

बनाम

1. रघुनाथसिंह पिता छीतरसिंह राजपूत निवासी अमरतिया तह0 बेगॅू
2. भॅवरसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0 बेगॅू
3. अर्जुनसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगॅू
4. बालू पिता भॅवरलाल धाकड निवास अमरतिया तह0 बेगॅू
5. प्रकाश पिता भोजराज जी धाकड निवासी अमरतिया तह0बेगॅू
6. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगॅू

विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री के0सी0मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक 20.09.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा अमरतिया प0ह0 काटून्दा तह0 बेगॅू की वतमान खतौनी संख्या 74 में अंकित आराजीयात आराजी संख्या 355मी0, 356मी0, 357मी0, एवं 359 मी0 योग किता– 4 कुल रकबा 1.5500 हैक्टर भूमि खातेदारी हक से प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में है। आराजी की सीमाओं का स्थाई सीमांकन नहीं होने से एवं पडोसी विपक्षीगण की भूमि पास लगी हुई होकर विपक्षीगण पडोसी से जमीन विकास करते समय मन मुटाव होता रहता है। भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो इस कारण से आराजी का स्थाई सीमांकनल जरिये पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक होने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को तहसील कार्यालय से आदेश प्राप्त कर हल्का पटवारी जी से जमीन का नाम चौप करा सीमांकन कराने हेतु कहा तो उसने न्यायालय आदेश के बिना जमीन नापने में अपनी असहमति व्यक्त की जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी की जाकर स्थाई सीमांकन हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अंकित स्थित होने से प्रार्थना पत्र पूर्ण न्यायशुल्क पर मय सम्मन नकल प्रोसेस [illegible] है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का स्थाई सीमांकन [illegible] पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में

प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर उस पर मनन किया गया, प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है, जिन्हें आराजी की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा अमरतिया प0ह0 काटून्दा तह0 बेगूं की वतमान खतौनी संख्या 74 में अंकित आराजीयात आराजी संख्या 355मी0,356मी0, 357मी0, एवं 359 मी0 योग किता– 4 कुल रकबा 1.5500 हैक्टर भूमि में मौके पर फसल नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मौके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूं को 500/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की पालना में पत्र तहसीलदार, बेगूं को जारी होकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में तलब की जावे।

आदेश आज दिनांक 20.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

20/9/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested